बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)बेगूसराय–11 / 2022..8013.. पटना, दिनांक :20/09/2023

आदेश

बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय के पत्रांक 1362 दिनांक 24.06.2023 एवं पत्रांक 1758 दिनांक 24.08.2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि सुश्री सिमरन कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04441) दिनांक 29.10.2020 से तीन माह के लिए मातृत्व अवकाश का आवेदन समर्पित कर अवकाश में प्रस्थान की हैं एवं इसके बाद इनके द्वारा अपनी उपस्थिति के संदर्भ में कभी भी न तो किसी प्रकार की सूचना दी गयी है और न ही अवकाश विस्तार का आवेदन दिया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक अपने कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित के फलस्वरूप संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5609 दिनांक 10.07.2023 द्वारा नियोजन के समय समर्पित ई–मेल आई0डी0–Simrankumari7045@gmail.com के माध्मय से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कोई तथ्य रखना नही चाहती हैं।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा एवं ऑनलाईन के माध्यम से इनके अनुपस्थिति की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि सुश्री सिमरन लगभग 03 वर्ष से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित चल रही हैं। इनके अनाधिकृत अनुपस्थिति को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, यह स्पष्ट करता है कि इनके द्वारा जानबुझ कर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का कार्य किया गया है।

विदित हो कि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु ही इनका संविदा नियोजन किया गया है। इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। अतः ऐसे कर्मी को लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिगत संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री सिमरन कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04441) का संविदा अनुबंध अनाधिकृत अनुपस्थिति की तिथि अर्थात दिनांक 29.10.2020 से रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 13/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)बेगूसराय–11 / 2022..8013.. **पटना, दिनांक** :20/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री सिमरन कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04441), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 13/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)बेगूसराय—11 / 2022 8013 **पटना, दिनांक** : 20/09/2023

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)बेगूसराय—11 / 2022 8013 **पटना, दिनांक** : 20/09/2023

प्रतिलिपि :— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू—अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
20/9/23